# माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /निग./भू–राजस्व/वीना/2018/......
निगरानी-4678/2018/सागर/भू.रा.

सुखलाल पुत्र भोले मृत वारिसान

अ. जगन्नाथ
ब. श्रीलाल
स. श्रीपाल
द. राजकुंअर
पुत्रगण स्व. सुखलाल
क. श्रीमती शारदा बाई पत्नी स्व.. सुखलाल
ख. अंगूरी पुत्री स्व. सुखलाल पत्नी कमलेश
समस्त निवासीगण ग्राम बरौदिया
तहसील बीना जिला सागर म0प्र0
हाल निवासी बीना जिला सागर

——— प्रार्थीगण

बनाम

1. लच्छू पुत्र छोटेलाल यादव
निवासी ग्राम बरौदिया तहसील बीना
जिला सागर म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन

—— प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि0 9-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-8-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

**<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर संभाग प्र.क. 272/अ19/2004–05 निगरानी पारित आदेश दिनांक 14.09.2017</u>**

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश एवं श्रीमान एस.डी.ओ. बीना जिला सागर का आदेश विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख के विपरीत तथा अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, प्रार्थीगण ने रजि. विक्रय पत्र से विवादित भूमि ग्राम बरौदिया तहसील बीना की सर्वे क. 213/2 रकवा 0.940 हैक्टेयर क्रय कर विधिवत नामांतरण दिनांक 18.08.2007 को करा लिया था वर्तमान में तब से प्रार्थीगण का स्वत्व एवं अधिपत्य है ।

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

निगरानी–4678 / 2018 / सागर / भू.रा.

**सुखलाल विरूद्ध लच्छू**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14–08–18 | आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया को, एवं शासकीय अभिभाषक श्री योगेन्द्र पाराशर को दिनांक 08.08.2018 को ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया।<br>2/ यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग के के प्र. क्र. 272 / अ–19 / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 14.9.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण नायब तहसीलदार बीना को प्रकरण की विधिवत जांच कर निराकरण के निर्देश साथ प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात 12 वर्ष तक प्रकरण लंबित रहने से अपर आयुक्त ने दिन प्रतिदिन पेशी लगाकर दो माह में प्रकरण के निराकरण के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। जहां तक आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों का प्रश्न है आवेदक चाहे तो अपने पक्ष विचारण न्यायालय में उठाने के स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है।<br>पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>(आर के जैन)<br>सदस्य<br>14.8.18 | |